

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

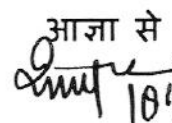
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2372 /2020 दिनांक :19.12.2020

श्री सुकेश कुमार जैन (RJ0343), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं को दिनांक 20.11.2020 से 24.11.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश (Commuted Leave) स्वीकृत किया जाता है ।

श्री जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, झुंझुनूं ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
 19.12.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/48/2000/ 5909

दिनांक :19.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं को उनके पत्रांक 58 दिनांक 25.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सुकेश कुमार जैन (RJ0343), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, झुंझुनूं ।

 19.12.2020
सहायक रजिस्ट्रार